पत्रांक–....................................../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेशक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– **विभिन्न आपदाओं से प्रभावितों को साहाय्य हेतु दी जाने वाली सूखा राशन का व्यय जनसंख्या के निष्क्रमण मद से करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य में आए बाढ़ के मद्दे नजर कतिपय जिलो द्वारा आपदा से प्रभावितों के बीच सूखा राशन के वितरण में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति किस मद से की जाए हेतु मार्गदर्शन की मांग की जा रही है।

पूर्व में बाढ़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया में विभिन्न मदों में होने वाली व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित शीर्षो का उल्लेख किया गया है। यह पुनः उल्लेख करना है कि विभिन्न आपदाओं से प्रभावितों को उपलब्ध कराए जाने वाले सूखा राशन का व्यय गैर योजना बजट मुख्य शीर्ष 2245–02–112–0002–जनसंख्या का निष्क्रमण मद से करेंगे। इसी मद से एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 टीमों पर व्यय, वाहनों का ईंधन एवं भाड़ा का भुगतान, पॉलीथीन शीट्स का क्रय तथा नाव एवं नाविकों का भुगतान भी किया जाएगा।

विश्वासभाजन
ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ......3126......./आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 22/8/16

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

D:\2016\Draft\plastics sheets.docx